मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2014-वैशाख 5, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मै. ग्रामीण ट्रेडर्स जो ग्राम कलहरा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी में अजय कुमार मिश्रा के घर में कार्यालय स्थित है 01-04-2011 से इस फर्म में 5 भागीदार 1. अजय कुमार तिवारी आत्मज इन्द्रेश्वर तिवारी, 2. अजय कुमार मिश्रा आत्मज काशी प्रसाद मिश्रा, 3. राजू कोल आत्मज विसाहु लाल कोल, 4. मनोज कुमार बड़गैया आत्मज वनमाली बड़गैया, 5. धर्मेन्द्र तिवारी आत्मज सुरेन्द्र कुमार तिवारी बराबर के हिस्सेदार बने. जिसका पंजीयन भागीदारी रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, जबलपुर द्वारा दिनांक 28-02-12 को किया गया. अजय कुमार तिवारी का 10 जुलाई, 2012 को स्वर्गवास हो गया. मृत्यु के बाद अजय कुमार तिवारी की भागीदारी समाप्त होने पर उसकी विधवा श्रीमती निर्मला तिवारी भागीदार बनी. बाद निर्मला तिवारी, राजू कोल एवं धर्मेन्द्र तिवारी 12-10-13 को उपरोक्त भागीदारी फर्म से रिटायर हो गये और 12-10-13 को पुनर्गठित भागीदारी पत्रक में 1. मनोज कुमार बड़गैया आत्मज वनमाली बड़गैया नये भागीदार के रूप में उपरोक्त फर्म में प्रवेश बतौर भागीदार दिया गया.

करूणा निधान सिंह चौहान,
कर सलाहकार, कटनी.

(23-बी.)

आम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मै. बघेल बिल्डर्स जो ग्राम बरेहटा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी में रमेश प्रताप सिंह बघेल के घर में कार्यालय है जो 20-01-2011 ये पंजीकृत है. इस फर्म में भागीदारी पत्रक 14-01-2011 के अनुसार 4 भागीदारों में से प्रथम भागीदार श्री अशोक कुमार सिंह आत्मज लाल गंगा सिंह 31-03-2012 को उपरोक्त फर्म से व्यस्तता के कारण रिटायर हो गये हैं. उनके स्थान पर दीपांशु प्रताप सिंह आत्मज रमेश प्रताप सिंह को उपरोक्त फर्म में भागीदार बना दिया गया है. बाकी भागीदार रमेश प्रताप सिंह, राजेश सिंह, हिमांशु प्रताप सिंह पुनर्गठित फर्म में बने रहेंगे.

करूणा निधान सिंह चौहान,
कर सलाहकार, कटनी (म. प्र.).

(24-बी.)

आम सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मे. शिव मिनरल्स, जिला छतरपुर (म. प्र.) का पंजीयन दिनांक 17-07-2003 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज सागर संभाग, सागर द्वारा किया गया है. फर्म की रचना में जरिये भागीदारी पत्र से निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है कि :—

फर्म के भागीदार श्री रमेश चन्द्र गुप्ता का आकस्मिक निधन दिनांक 09-02-2014 को हो गया है. निधन होने से उनके इकलौते वारसान पुत्र श्री प्रिन्स गुप्ता को फर्म मे. शिव मिनरल्स में सम्मिलित किये जाने फर्म के समस्त भागीदार सहमत हैं. फर्म मे. शिव मिनरल्स के शेष भागीदार श्री राकेश गुप्ता, श्री खुमना अहिरवार तथा हरिदास अहिरवार यथावत् रहेंगे.

मेसर्स शिव मिनरल्स,
प्रिन्स गुप्ता, राकेश गुप्ता, खुमना अहिरवार, हरिदास अहिरवार
जिला छतरपुर (म. प्र.).

(25-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में अपना नाम सतीश कुमार (आत्मज श्री घनश्याम खर्कवाल) लिखता था, इसमें सरनेम खर्कवाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. अब मुझे सतीश कुमार खर्कवाल के नाम से जाना जाए, इसी नाम से मुझे समस्त शासकीय/कानूनी दस्तावेजों, सर्विस रिकार्ड, बैंक, चल-अचल सम्पत्ति के कागजात में संबोधित किया जाय.

पुराना नाम :

(सतीश कुमार)

नया नाम :

(सतीश कुमार खर्कवाल)
पुत्र श्री घनश्याम खर्कवाल,
पता-204/4, फाईन इन्क्लेव,
कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(26-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सबीना निनामा पिता श्री पायस निनामा था. मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, जन्म प्रमाण-पत्र तथा अन्य शासकीय अभिलेखों में यही नाम अंकित है.

विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती शिवानी वर्मा पति श्री रविन्द्र कुमार वर्मा हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(सबीना निनामा)
पिता श्री पायस निनामा

नया नाम :

(शिवानी वर्मा)
पति श्री रविन्द्र कुमार वर्मा,
एफ-108/32, शिवाजी नगर, भोपाल.

(20-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्रीकर जी आर पिता श्री जी एच एस नायडु, उम्र 26 वर्ष, निवासी 106-ए, शिवमपुरी कॉलोनी, पिपल्याराव, इन्दौर, मध्यप्रदेश ने अवगत कराया है कि उन्हें द न्यू दिगम्बर पब्लिक स्कूल, खण्डवा रोड, इन्दौर में अध्ययनरत होकर माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र सह अंकसूची वर्ष 2004 में प्राप्त हुई है जिसमें उनके नाम की स्पेलिंग SHREEKAR GR पिता का नाम GHS NAIDU एवं माता का नाम HEMALATHA NAIDU अंकित है जो सही एवं मान्य है. उक्त अनुसार ही पासपोर्ट बना है. मेरे पक्षकार के उक्त कथन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो जाहिर सूचना प्रकाशन से 7 दिन की अवधि में लिखित प्रमाण सहित सूचित करें अन्यथा मियाद बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी.

राकेश यादव
हाईकोर्ट एडव्होकेट,
19, आनन्द नगर, एक्सटेंशन,
चितावद रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(28-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम SARDAR GURMIT SINGH था जिसे बदलकर GURMEET SINGH कर लिया गया है. अतः अब मुझे नये नाम GURMEET SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :	नया नाम :
(SARDAR GURMIT SINGH)	**(GURMEET SINGH)**
	पता-सी-182, पटेल नगर,
(27-बी.)	ग्वालियर (म. प्र.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कढिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 21 अक्टूबर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/140, शाजापुर, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेलागॉव, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 16 मई, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/134, शाजापुर, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपल्या नानकार, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 900, दिनांक 01 नवम्बर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/759, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा

प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हिरणखेडी, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 963, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/760, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कोहडिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 16 जनवरी, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/761, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलमोई, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 28 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/758, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अरन्याकला, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 24 अक्टूबर, 1983 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/101, शाजापुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुदरावन, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 298, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/757, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जरखी, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 272, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/138, शाजापुर, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 10 मार्च, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

स्टेशनरी मेन्यू. औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 467, दिनांक 10 मार्च, 1983 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/766, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 10 मार्च, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(272-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ठिकरिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 10 जनवरी, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/762, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 10 मार्च, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(272-J)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/451.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भादनेर, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. राजपूत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सांची को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भादनेर, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/452.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरवर, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 29 मई, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. राजपूत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सांची को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरवर, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 29 मई, 1992 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-A)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/453.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा लेदर एवं मेंटल बेग्स सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 924, दिनांक 24 जून, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. राजपूत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सांची को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित लेदर एवं मेंटल बेग्स सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 924, दिनांक 24 जून, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-B)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/454.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बांसखेडा, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 22 फरवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. राजपूत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सांची को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बांसखेडा, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 22 फरवरी, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-C)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/455.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुडियाखेडा, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री अनुराग भल्ला, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गैरतगंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुडियाखेडा, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-D)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/456.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा श्रीगणेश ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, सांची, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 14 जनवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. राजपूत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सांची को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्रीगणेश ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, सांची, तह. रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 14 जनवरी, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-E)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/457.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा भारत माता ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, देहगांव, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 10 नवम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री अनुराग भल्ला, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गैरतगंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित भारत माता ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, देहगांव, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 10 नवम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-F)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/458.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./816, दिनांक 26 अगस्त, 2008 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाढेर, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री अनुराग भल्ला, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गैरतगंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाढेर, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-G)

रायसेन, दिनांक 20 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/459.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लिलगवां, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 898, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री अनुराग भल्ला, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गैरतगंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लिलगवां, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 898, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(273-H)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 459, दिनांक 19 मार्च, 1982 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./09/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी तथा श्री विजय मुजुमदार, दुग्ध पर्यवेक्षक, दुग्ध सहकारी संघ मर्या., उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा दुग्ध प्रदाय हेतु सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है, इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा, तह. बदनावर, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थाई कामकाज कमेटी तीन माह के लिये नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री अमृतलाल भेरुलाल जी	अध्यक्ष
2.	श्री शांतिलाल बाबुलालजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री लखन शिवरामजी	संचालक

4.	श्री रामेश्वर बाबुलालजी	संचालक
5.	श्री रामलाल चम्पालालजी	संचालक
6.	श्री कैलाश भेरुलालजी	संचालक
7.	श्री बालकृष्ण बाबुलालजी	संचालक
8.	श्रीमती रामकुंवर बबलाजी	संचालक
9.	श्रीमती बेबीबाई रमेशचन्द्रजी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(274)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 01 मई, 1981 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./09/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी तथा श्री विजय मुजुमदार, दुग्ध पर्यवेक्षक, दुग्ध सहकारी संघ मर्या., उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा दुग्ध प्रदाय हेतु सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है, इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थाई कामकाज कमेटी तीन माह के लिये नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री जगदीशचन्द्र रामेश्वरजी पाटीदार	अध्यक्ष
2.	श्री रविशंकर भेरुलालजी पाटीदार	उपाध्यक्ष
3.	श्री गोपाल मांगीलाल जी	संचालक
4.	श्री अमृतलाल बद्रीलाल जी	संचालक
5.	श्री शम्भुलाल गोवर्धनलालजी	संचालक
6.	श्री पन्नालाल जगन्नाथजी	संचालक
7.	श्रीमती गीताबाई कैलाशचन्द्र जी	संचालक
8.	श्रीमती भूरीबाई माणकलालजी	संचालक
9.	श्री गौरीशंकर बाबुलाल जी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(274- A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2012/1467, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायन, तहसील बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 19 मार्च, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत संशोधित आदेश क्र./परि./2013/1144 धार, दिनांक 14-08-2013 के द्वारा एम. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायन, तहसील बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(274- B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2012/1459, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 17 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत संशोधित आदेश क्र./परि./2013/645 धार, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(274-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2009/1015, धार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 के द्वारा इण्डोरामा श्रिफ्ट क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड, पिथमपुर, तह. धार, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 808, दिनांक 03 दिसम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत एस. बी. मिश्रा. वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत इण्डोरामा श्रिफ्ट क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड, पिथमपुर, तह. धार, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(274-D)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला धार

क्र./परि./61. दिनांक 15 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में आने का आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी, तह. सरदारपुर	549	2136/30-11-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागदा, तह. बदनावर	520	1633/04-10-2005
3.	चर्मो. एवं शवविच्छेदन सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, तह. धरमपुरी	970	910/22-05-2002
4.	महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तह. कुक्षी	285	536/16-04-2003
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तह. कुक्षी	1114	92/21-01-2010
6.	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अखाडा, तह. कुक्षी	261	3521/03-11-1985
7.	इण्डोरामा थिफ्ट कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर, तह. धार	808	1015/20-07-2009

उपरोक्तानुसार सहकारी संस्थाओं को रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक 1138, दिनांक 14-08-2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. बी. मिश्रा,
व.स.नि. एवं परिसमापक.

(278)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 मार्च, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1337, विदिशा, दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 से कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./651, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./651, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(275)

विदिशा, दिनांक 24 मार्च, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/278, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2007 से धन लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./606, दिनांक 22 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा धन लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धन लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./606, दिनांक 22 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(275-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत प्रा. उपभोक्ता भण्डार सहकारी मर्या., गांधीसागर नम्बर-3, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 25 फरवरी, 1954 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/949/परि./13, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रा. उपभोक्ता भण्डार सहकारी मर्या., गांधीसागर नम्बर-3, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(276)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा जय माता दी बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., मनियावदा, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 16 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा नारी जागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., खण्डवासुरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 12 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 265, दिनांक 6 फरवरी, 2008 द्वारा सिंचन सहकारी संस्था मर्या., जवासिया सोलंकी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 29 नवम्बर, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 262, दिनांक 6 फरवरी, 2008 द्वारा उठाव सिंचन सहकारी संस्था मर्या., कड़ियावली, तह. खाचरोद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 249, दिनांक 25 फरवरी, 1966 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 263, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा अभिलाषा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., कलावदा, जिला उज्जैन

जिसका पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 16 मार्च, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 145, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा रेलवे कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 190, दिनांक 15 जुलाई, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा उन्नति महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., पिठौरा, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा उन्नति साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 17 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-G)

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/1768.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1593, दिनांक 9 जून, 1962 द्वारा विश्वकर्मा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., करोहन, जिसका पंजीयन क्रमांक 218, दिनांक 22 फरवरी, 1964 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-H)

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/1768.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4037, दिनांक 7 मई, 1962 द्वारा हेण्डलूम एण्ड हेण्डीक्राफ्ट को. आप. सोसायटी लिमिटेड, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 4593, दिनांक 15 जनवरी, 1948 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-I)

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/1768.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8109, दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 द्वारा कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा, द्वारकाधीश जिसका पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 23 मार्च, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-J)

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/1768.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6926, दिनांक 26 अक्टूबर, 1967 द्वारा महिला ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर जिसका पंजीयन क्रमांक 194, दिनांक 29 अगस्त, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277-K)

उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1141, दिनांक 20 मई, 1991 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगरोला, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(277-L)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1140, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ रेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1452, दिनांक 19 अक्टूबर, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. एस. ठाकुर, उप-अंकेक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1143, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1444, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-A)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1141, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1446, दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-B)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1142, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त

होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिष्मति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1501, दिनांक 21 मार्च, 2007 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-C)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1137, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वल्लभा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1478, दिनांक 01 मार्च, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-D)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1138, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1472, दिनांक 03 मार्च, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1372, दिनांक 07 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1259, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियां एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की

अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ा, तह. कसरावद, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1372, दिनांक 07 जून, 2004 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 10 फरवरी, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 10 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(279-F)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 26 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./औद्यो./2014/290.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/204, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा सुतारी-लुहारी उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, रावटी, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुतारी-लुहारी उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, रावटी, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(280)

रतलाम, दिनांक 26 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./औद्यो./2014/291.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/690, रतलाम, दिनांक 2 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डेलवास, तह. आलोट, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/610, दिनांक 1 फरवरी, 1994 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. एस. पँवार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डेलवास, तह. आलोट, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(280-A)

रतलाम, दिनांक 26 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./औद्यो./2014/292.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/682, रतलाम, दिनांक 2 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, असावती, तह. जावरा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/818, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, असावती, तह. जावरा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(280-B)

रतलाम, दिनांक 26 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./औद्यो./2014/293.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1047, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा भोले साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोले साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(280-C)

रतलाम, दिनांक 26 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/294.—परिसमापित प्राथमिक दुग्ध सहकारी सोसायटी मर्यादित, अकतवासा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के परिसमापक श्री जी. डी. बैरागी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों द्वारा सोसायटी का पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है

तथा सोसायटी में प्रतिदिन 150 लीटर दुग्ध क्रय किया जा रहा है. परिसमापक द्वारा सोसायटी के जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक की स्थिति के पत्रक प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार सोसायटी का चालू होना पाया जाता है. परिसमापक की अनुशंसा एवं सोसायटी के सदस्यों की मांग के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि संस्था के विकास कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, अकतवासा, जिला रतलाम का परिसमापन समाप्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु उज्जैन दुग्ध सहकारी संघ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, श्री जी. डी. बैरागी को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

उपर्युक्तानुसार नियुक्त प्रभारी अधिकारी आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण तिलहन संघ भवन, 1-अरेरा हिल्स, भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव ठहराव एवं चार माह के पूर्व की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय-सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप रजिस्ट्रार.

(280-D)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इंदौर, दिनांक 14 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1197.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, दयाखेड़ा, पंजीयन 1111, दिनांक 21 अक्टूबर, 1991 को आदेश क्रमांक 6889, दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय गंगवाल, विस्तार पर्यवेक्षक, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को परिसमापक बनाया गया.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी. सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था में दुग्ध भुगतान की समस्या, पशु ऋण समस्या एवं कम दुग्ध संकलन के कारण संस्था बंद हो गयी थी. अब निजी व्यापारियों के शोषण से मुक्त होने एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संस्था को पुनर्जीवित किया जाये. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार संस्था के गावों में ग्रामसभा आयोजित की गयी एवं संस्था को परिसमापन से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. जोकि संस्था के सदस्यों द्वारा भी पारित किया गया था. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, दयाखेड़ा, पंजीयन 1111, दिनांक 21 अक्टूबर, 1991 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री बी. एल. मण्डलावदिया, पर्यवेक्षक, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(281)

इंदौर, दिनांक 14 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1198.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जैतपुरा, पंजीयन 516, दिनांक 09 मई, 1977 को आदेश क्रमांक 424, दिनांक 07 फरवरी, 1996 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय गंगवाल, विस्तार पर्यवेक्षक, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को परिसमापक बनाया गया.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी. सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था में दुग्ध भुगतान की समस्या, पशु ऋण समस्या एवं कम दुग्ध संकलन के कारण संस्था बंद हो गयी थी. अब निजी व्यापारियों के शोषण से मुक्त होने एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संस्था को पुनर्जीवित किया जाये. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार संस्था के गावों में ग्रामसभा आयोजित की गयी एवं संस्था को परिसमापन से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. जोकि संस्था के सदस्यों द्वारा भी पारित किया गया था. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जैतपुरा, जिसका पंजीयन 516, दिनांक 09 मई, 1977 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री बी. एल. मण्डलावदिया, पर्यवेक्षक, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(281-A)

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

क्र./परि./14/1308.—श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./912, दिनांक 22 जुलाई, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी लिखित में अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं करते हुए वर्तमान में अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(281-B)

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

क्र./परि./14/1309.—सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर., जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./444, दिनांक 04 जून, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी लिखित में अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं करते हुए वर्तमान में अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(281-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2014-वैशाख 5, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, अनूपपुर, उमरिया, बड़वानी, जबलपुर, मण्डला में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर व अलीराजपुर में फसल गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, उमरिया, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, कटनी, मण्डला में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) उड़द, तिली, सोयाबीन, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. दतिया	. .		ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*~~जिला अशोकनगर:~~	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मसूर, मटर, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मटर, आलू, प्याज अधिक. धान,		
4. पवई	. .		ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर अधिक. राई-सरसों, गेहूँ, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) चना, मटर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर अधिक.राई-सरसों, चना, जौ, आलू, गेहूँ, ज्वार, मूंग, उड़द, कोदों, अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायढी, अलसी, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर,उड़द, मूँग-मोठ, गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	. .		4. (1) तुअर, चना कम. कपास, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राणापुर	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
6. घोड़ाडोंगरी	. .				
7. आठनेर	. .				
8. चिचोली	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूं, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ,चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		मसूर, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना,मटर, मसूर, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सौंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		चना, मटर,राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		बाजरा,कोदों-कुटकी, उड़द, तिल,		
4. बरघाट	. .		सोयाबीन, सन, लाख, तिवड़ा कम.		
5. कुरई	. .		मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.		
6. घंसौर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, रीवा, नीमच, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(271)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.